रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 13, 1984/आश्विन 21, 1906

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 1984/ASVINA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1984

सा.का नि 1051.—केन्द्रीय सरकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल 'अधीनस्थ (आफिसर और अवर आफिसर) प्रोन्नति और ज्येष्ठता नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ आफिसर और अवर आफिसर) प्रोन्नति और ज्येष्ठता (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ आफिसर और अवर आफिसर) प्रोन्नति और ज्येष्ठता नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उपनियम (1) में—

(i) "या ऐसी अन्य परीक्षा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उपनियम (3) के नीचे सारणी में, मद (ङ) और स्तम्भ (2) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां क्रमश स्तम्भ (1) और (2) में अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात :—

(1)	(2)
(च) रेडियो आपरेटर व्यवसाय	
(1) नायक (आपरेटर) का कांस्टेबिल आपरेटर	प्रारंभिक रेडियो आपरेटर श्रेणी 3 पाठ्यक्रम
(2) हैडकांस्टेबिल (आपरेटर) का नायक (आपरेटर)	पदोन्नत रेडियो आपरेटर श्रेणी 3, पाठ्यक्रम
(3) सहायक उप निरीक्षक (आपरेटर) का हैड कांस्टेबिल (आपरेटर)	पदोन्नत रेडियो आपरेटर श्रेणी 1 पाठ्यक्रम
(4) उपनिरीक्षक (आपरेटर) का सहायक उपनिरीक्षक (आपरेटर)	कनिष्ठ पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम
(5) सूबेदार (संचार) का उप-निरीक्षक (आपरेटर)	ज्येष्ठ पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1984

सा.का.नि 1078.--संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियमावली, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों को नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1984 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 नागर विमानन विभाग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियमावली, 1969 की अनुसूची में वरिष्ठ अनुदेशक (विमानचालन) (समूह "क"), अनुज्ञापित इंजीनियर, भण्डार अधिकारी, रेडियो अधिकारी, ग्लाइडिंग अनुदेशक, वरिष्ठ विमान निरीक्षक (जिनका पदनाम बदलकर अब वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी कर दिया गया है), विमान निरीक्षक (जिसका पदनाम बदलकर अब उड़नयोग्यता अधिकारी) कर दिया गया है के पदों से संबंधित क्रम सं. 32,34,37,38,46 और 47 के सामने खाना 6 की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट"।

नोट :--मूल भर्ती नियम दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 16-7-69 को सा.सां.नि. 1555 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

निम्नलिखित द्वारा संशोधित .--

1. ए-12011/3/76-इएस (वीई/एसएफएस) दिनांक 25-2-80
2. अधिसूचना स. सां.सा.नि. 923 दिनांक 18-10-82
3. अधिसूचना सं. सा.सां.नि. 980, दिनांक 11-12-82
4. सं० ए-12018/8/81-ईएस/वीई/एसएफएस), दिनांक 21-8-84

[फा० स० ए-12018/1/83-ई एस (वी ई/एस एफ एस)]

वी. जयचन्द्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th September, 1984

G.S.R. 1078.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1969 against serial numbers 32, 34, 37, 38, 46 and 47 relating to the post of Senior Instructor (Navigation) (Group 'A') Licenced Engineer, Store Officer, Radio Officer, Gliding Instructor, Senior Aircraft Inspector (now redesignated as Senior Airworthiness Officer) Aircraft Inspector (now redesignated as Airworthiness Officer) respectively, in Column 6 for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government."

NOTE :—The Principal recruitment rules were published in Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5th July, 1969 as GSR 1555, dated the 16-7-69.

Amended by :—

1. A. 12011/3/76-ES(VE/SFS), dt. 25-2-80.
2. Notification No. GSR 923, dt. 18-10-82.
3. Notification No. GSR 980, dt. 11-12-82.
4. A. 12018/8/81-ES (VE/SFS), dt. 21-8-84.

[F. No. A. 12018/1/83-ES(VE/SFS)]

V JAYACHANDRAN, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1984

सा.का.नि. 1079 --राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (पारेषण कार्यकारी) भर्ती नियम, 1974 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (पारेषण कार्यकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (पारेषण कार्यकारी) भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में, स्तम्भ 12 में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। (पन्द्रह प्रतिशत) ऐसे वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्षों में से, जिनके अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के पुस्तकाध्यक्ष भी हैं, जो उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं, जिसके न हो सकने पर कार्यक्रम सचिवों, स्टूडियो कार्यकारियों, कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्षों (जिसके अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष भी हैं) और संघीय वित्तीय समन्वय के समय के तत्कालीन भाग "ख" राज्य के उद्घोषकों और एमीजरी-डि-गोवा के भूतपूर्व राज्य उद्घोषकों में से जो अपनी अपनी श्रेणियों में पांच वर्ष सेवा कर चुके हैं।

[स. ए-23024/1/81-एसवी/बी(ए)]

जे. एल. माथुर, अवर सचिव

पाद टिप्पण :--मूल नियम आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव) भर्ती नियमावली, 1974 के नाम से अधिसूचना सं. 1/2/74-बी (ए) तारीख 9/10/1974 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तदन्तर अधिसूचना संख्या 1/2/74-बी (ए), तारीख 6-11-1975 द्वारा उनमें संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 14th September, 1984

G.S.R. 1079.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Transmission Executive) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1974, in column 12, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By promotion on Seniority-cum-fitness basis, (15%) from amongst Senior Librarians including those of the DG AIR, New Delhi with three years service in the grade, failing which from amongst Programme Secretaries, Studio Executives, Junior Librarians (including those of the DG AIR New Delhi) and Announcers belonging to the former Part 'B' States at the time of Federal Financial Integration and Ex-State Announcers of Emissare-de-Goa with five years service in their respective grades."

[No. A-23024/1/81-SV/B(A)]

J. L. MATHUR, Under Secy.

Foot-Note : The Principal Rules called the All India Radio (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1974 were notified vide Notification No. 1/2/74-B(A), dated 9-10-1974. The Rules were subsequently amended vide Notification No. 1/2/74-B(A), dated 6-11-1975.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1984

सा. का. नि. 1080 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (श्रम मंत्रालय) अनुरक्षण और अधिवेशन अधिकारी) भर्ती नियम, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग में अनुरक्षण और अधिवेशन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग (अनुरक्षण और अधिवेशन अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 है। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमाएं	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6क
अनुरक्षण और अधिवेशन अधिकारी	1* (1984) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	550-25-750-द0रो0 30-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता